न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद /2021 (2021/)

पिंकी पुत्री कैलाश संरक्षक सरपरस्त माता गायत्री वगै. नि.बघेरा तह.केकडी जिला अजमेर

——प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

—— अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक 16.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प बघेरा तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीया /अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थीया द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया उक्त पार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बघेरा** की जमाबन्दी संवत **2073–76** में दर्ज अकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
242–1406	749	0.17	नहरी 2
	750	1.00	नहरी 2
	751	1.13	नहरी 2
	752	1.10	नहरी 2
	कुल किता 4	कुल रकबा 3.34 है.	

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार केकडी द्वारा करवायी गई। तहसीलदार केकडी द्वारा अपनी जांच भू.अ./2021/5994 दिनांक 18.8.2021 द्वारा प्रस्तुत की है। जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम बघेरा की जमाबन्दी स. 2073–76 वर्ष 2019 से स्थाई के खाता स. 242 में किता 4 रकबा 3.40 है. पर नाबालिग पिंकी पुत्री कैलाश संरक्षक सरपरस्त माता गायत्री हिस्सा 1/12 जाति ब्राम्हण साकिन मांदोलाई तहसील टोडारायसिह टोंक खातेदार दर्ज है। उक्त खातेदार का नाम जरिये विरासत के नामान्तकरण दर्ज है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति में अकित अंजली शर्मा पुत्री कैलाश चन्द्र शर्मा के आधार पर राजस्व अभिलेख में पिंकी के स्थान पर अंजली शर्मा इन्द्राज दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया । **ग्राम बघेरा** की जमाबन्दी संवत **2073–76** के खाता स. 242–1406 किता 4 कुल रकबा 3.34 है. में प्रार्थीया पिंकी स्थान पर अंजली शर्मा का दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार केकडी को दिये जाते है। बाकी इन्द्राज बदस्तूर रहेंगें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को कैम्प बघेरा में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:51:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner